

::प्रमाण-पत्र::

अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नई टिहरी के पत्रांक 1228/23सी0 दिनांक 26.05.2014 के द्वारा जनपद के अन्तर्गत प्रस्तावित क्यारी सुरकण्डा ब्लाक जौनपुर में विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 0.50हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.100हे0 सिविल भूमि, कुल रक्वा 0.60हे0 वन एवं सिविल भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-

आरक्षित वन भूमि का विवरण:-

प्रभाग का नाम	कम्पार्टमेंट सं०	क्षेत्रफल		कुल क्षेत्रफल (हे०में)	टिप्पणी
		लम्बाई	चौड़ाई		
मसूरी वन प्रभाग	क्यारी कक्ष 3B व 4	2000मी०	2.5मी०	0.50	-
योग				0.50	

सिविल सोयम भूमि का विवरण:-

तहसील	ग्राम	पट्टी	खाता सं०	खसरा सं०	कुल रक्वा (हे०में)	याचित रक्वा (हे०में)
01	02	03	04	05	06	07
धनोल्ती	क्यारी	पालीगाड	21	2550	0.626	0.06
				2561	0.341	0.02
			25	2628	0.326	0.02
योग						0.10

इस कार्यालय के आदेश संख्या-81/5-27 दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत तहसील धनोल्ती के अन्तर्गत ग्राम क्यारी की अकृषि भूमि का मूल्य रु 60,00,000.00 (साठ लाख रुपये मात्र) प्रति हे० निर्धारित है। इस प्रकार धनोल्ती की प्रस्तावित 0.50हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.10हे० सिविल भूमि, कुल रक्वा 0.60हे० वन एवं सिविल भूमि का मूल्य 36,00,000.00 (छत्तीस लाख रुपये मात्र) आकलित किया जाता है।

प्रस्ताव पर उपलब्ध संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार हस्तान्तरण हेतु भूमि याचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं न्यूनतम है।

क्रमांक- 118/XXV-(2013-14)

दिनांक- 16-12-2014

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।